

फर्द अहकाम



(नियम 26)

नाम अदालत जिला कलक्टर अलवर मुकाम अलवर

उनवान सरकार बनाम मोहम्मदीन

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र आर बी एक्ट

प्रा०पत्र नम्बर 15/208/2022 दायर दिनांक 22.07.2022

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.10.2021	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन बोलोरो एससी एक्सएल सीबीसी रजि० संख्या आर.जे.-32-जी.ए.-9120 को सुपुर्दगी पर दिये जाने बाबत थानाधिकारी खैरथल से राय/टिप्पणी ली गयी। थानाधिकारी खैरथल द्वारा दिनांक 21.08.2022 के द्वारा रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि उक्त जब्तशुदा वाहन को सुपुर्दगी पर दिये जाने से पुलिस थाना खैरथल को कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस अभिशंषा पर जब्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामे पर दिये जाने हेतु प्रा०पत्र स्वीकार किया जाता है। यदि प्रार्थी 5,00,000/- (शब्देन पांच लाख रुपये मात्र) का सुपुर्दनामा एवं इसी कदर तस्दीकशुदा जमानतनामा पेश कर दे तथा जब्तशुदा वाहन यदि किसी अन्य प्रकरण में वांछित ना हो तो प्रार्थी को उक्त वाहन सुपुर्दनामे पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी सुपुर्दनामे पर दिये गये वाहन को खुर्द-बुर्द नहीं करेगा, जब भी उक्त वाहन की न्यायालय हाजा को आवश्यकता होगी तो वाहन को प्रस्तुत करना होगा। पत्रावली वास्ते पेश करने सुपुर्दनामा/ तस्दीकशुदा जमानतनामा दिनांक 31.10.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> जिला कलक्टर अलवर</p> <p>31/10/22 पत्रावली पेश करने के लिए प्रार्थी को सूचित किया गया। अनु० पत्रावली पेश करने के लिए प्रार्थी को सूचित किया गया। व्यस्त हैं। पत्रावली पेश करने के लिए प्रार्थी को सूचित किया गया। दिनांक.....को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> जिला कलक्टर अलवर</p>	

04/11/21

वकीलपुत्री के आर्कना-पत्र पर  
पत्रवली तब तक होकर रहे हुं  
वकील पुत्री का निर्धारित राशि  
के सुपुत्रगम्य प्रान्तनामा पत्र की  
कार्य जो तब तक करे करण पत्रक  
किंग पत्रवली प्रेषण हुआ है  
S.P.O. गोरखपुर के कार्ड सुपुत्रगम्य  
के तब तक से- कलकाम जारी हो  
पत्रवली प्रेषण कर तब तक पत्र  
कार्य हो

जिला कलेक्टर  
अलपट (राज्य)

महं

1.

2.